उ०.6.18

पंचायत समिति द्वारा कोई उदयपुरवाटी में पेश हुई पंचायती का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 28.5.2012 को प्रस्तुत किया गया है लेकिन प्राधिकारी द्वारा आदेशों एवं अनावेदकगण की तलबी नहीं करवाई है। जिससे साबित है कि प्राधिकारी प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है। ऐसी स्थिति में अंतरीम अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं रहता है। अपीलीय पक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा तलबी के क्रम में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पंचायत समिति फैसलशुदा होकर भारत के का है तथा मूलवाद के लंबित रहे।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner